

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 20.02.26

क्रमांक रीडर/2026/776

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 पारसनाथ पुत्र टाबरनाथ  
जाति जोगी निवासी  
हिन्दूपुरा, कपूरडी तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

1 मोडीदेवी पत्नि जवाहरनाथ जाति जोगी 2 अर्जुनराम  
पुत्र शंकराराम 3 केंकूदेवी पत्नि शंकराराम 4 टीलाराम 5  
नखताराम पिसरान लाडूराम 6 वंशीलाल पुत्र शंकराराम  
जातियान प्रजापत 7 कमलाराम 8 नारायाणराम 9  
श्रवणराम पिसरान जैललाराम 10 टीपूदेवी पत्नि जैललाराम  
जातियान मेघवाल 11 उकनाथ पुत्र ज्वारनाथ जाति जोगी  
सभी हिन्दूपुरा, कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-934/2025

दिनांक- 10/02/2026

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हिन्दूपुरा पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 228/32 रकबा 4.6943 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 20.02.26

क्रमांक :- रीडर/2026/777-80

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पारसनाथ पुत्र टाबरनाथ जाति जोगी निवासी हिन्दूपुरा, कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मोडीदेवी पत्नि जवाहरनाथ जाति जोगी हिन्दूपुरा, कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर